मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 19-09-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	डी0आर0सी0 संबंधी प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्त।
2.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा	डी0आर0सी0 संबंधी प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्त।
3.	आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा	डी0आर0सी0 संबंधी प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्त।
4.	अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा	विभागीय बैठक में भाग लेने गये।
5.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
6.	अंचलाधिकारी, ग्वालपाड़ा	अवकाश में
7.	अंचलाधिकारी, चौसा	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
8.	अंचलाधिकारी, बिहारीगंज	अवकाश में
9.	अंचलाधिकारी, आलमनगर	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
10.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	अवकाश में।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र0	संबंधित विभाग /पदा0 का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	(राजस्व) सभी अंचलाधिकारी /प्रभारी पदा0, राजस्व	**ऑपरेशन दखल-देहानी** :- जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा ऑपरेशन दखल देहानी के संबंध में प्रखंडवार समीक्षा की गयी, जिसमें निम्नांकित प्रगति पायी गयी :-

क्र0	ऑपरेशन दखल देहानी स्थिति					
	अंचल का नाम	निर्धारित लक्ष्य	पिछले सप्ताह की प्रगति	इस सप्ताह की प्रगति	कुल निष्पादित	लंबित
01	मधेपुरा	608	486	0	486	122
02	घैलाढ़	212	198	0	198	14
03	सिंहेश्वर	303	303	0	303	0
04	गम्हरिया	112	112	0	112	0
05	शंकरपुर	1064	1064	0	1064	0

06	मुरलीगंज	480	384	40	424	56
07	कुमारखंड	957	957	0	957	0
08	ग्वालपाड़ा	238	238	0	238	0
09	उदाकिशुनगंज	379	379	0	379	0
10	बिहारीगंज	261	261	0	261	0
11	पुरैनी	153	153	0	153	0
12	चौसा	296	296	0	296	0
13	आलमनगर	306	303	0	303	3t

<u>मधेपुरा</u> :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 122 लंबित है, जिसमें 25 इस सप्ताह में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 15 का निष्पादन किया गया है।

<u>घैलाढ़</u> :- बताया गया कि 14 बचा हुआ है।

<u>मुरलीगंज</u> :- बताया गया कि इस सप्ताह में 20 मामलें निष्पादन किया गया हैं, जबकि 37 बचा हुआ है।

<u>आलमनगर</u> :- बताया गया कि 03 मामलें लंबित है।

सभी संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस सप्ताह में जितने भी मामलें लंबित है, उसे नियमानुसार निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा क्रय नीति के संबंध में समीक्षा की गयी एवं दोनों भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

2.	(अभियान बसेरा) संबंधित अंचलाधिकारी	प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व द्वारा बताया गया कि घैलाढ़- में 05 तथा गम्हरिया में 53 मामलें अभियान बसेरा का लंबित है। अंचलाधिकारी, घैलाढ़ द्वारा बताया गया कि मुखिया के स्तर से आम सभा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मामला लंबित है। इसी प्रकार गम्हरिया अंचलाधिकारी द्वारा भी बताया गया कि मुखिया के स्तर से मामला लंबित है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि संबंधित मुखिया को अपने स्तर से निदेशित करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।
3.	(सामान्य) प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री जगन्नाथ कुमार का चरित्र सत्यापन संबंधी मामला है, अतएव प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य को निदेश दिया गया कि जांच पड़ताल कर अविलम्ब नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
4.	(स्वास्थ्य) सिविल सर्जन	पी0एच0सी0, घैलाढ़ :-समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घैलाढ़ में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ किया गया, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घैलाढ़ के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। सभी कर्मचारी /चिकित्सक भयभीत हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घैलाढ़ को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गम्हरिया में हस्तांतरण कर वहीं पर स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल किया जाए। सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घैलाढ़ में अधिष्ठापित सी0सी0टी0भी0 कैमरे का फुटेज पी0एच0सी0 में तोड़-फोड़ होने से पहले एवं बाद का फुटेज प्राप्त करें एवं दोषी व्यक्ति को चिन्हित करते हुए स्थानीय स्थानीय थाना में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करावें। यह भी निदेश दिया गया कि यदि कैमरे का पहले एवं बाद का फुटेज प्राप्त नहीं होता है, तो प्रखण्ड

		स्वास्थ्य प्रबंधक, घैलाढ़ से स्पष्टीकरण पूछते हुए बर्खास्त की कार्रवाई अविलम्ब नियमानुसार सुनिश्चित करें कि यदि कैमरा खराब था, तो उनके द्वारा कैमरे की मरम्मति क्यों नहीं करवायी गयी। **जे0बी0एस0वाई0** :- सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि जितने भी जे0बी0एस0 वाई0 के लाभुक हैं, उन्हें अविलम्ब नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बहुत सारे नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा है, ऐसी शिकायत प्रायः आती रहती है, जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। साथ ही अवैध नर्सिंग होम की भी जांच किया जाना आवश्यक है। सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिलान्तर्गत जितने भी नर्सिंग होम है, उसकी सूची उपलब्ध करायी जाए, ताकि जांच किया जा सके।
5.	(अतिक्रमण वाद) सभी संबंधित अंचलाधिकारी	अतिक्रमण वाद की विस्तार से समीक्षा की गयी, स्थिति निम्नवत् पायी गयी :- <u>मधेपुरा</u> :- अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि बाजार में जितने भी अतिक्रमण है, उसे नियमानुसार अविलम्ब हटाना सुनिश्चित करें। <u>घैलाढ़</u> :- बताया गया कि एक मामला मठाही बाजार का है, जो लंबित है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब हटाना सुनिश्चित करें। <u>गम्हरिया</u> :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके यहां एक भी मामला अतिक्रमण वाद का नहीं है। निदेश दिया गया कि इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि उनके यहां शून्य है। शंकरपुर :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके यहां एक भी मामला अतिक्रमण वाद का नहीं है। निदेश दिया गया कि इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि उनके यहां शून्य है। मुरलीगंज :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ मार्केट में अतिक्रमण बचा हुआ है, जिसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार हटाना सुनिश्चित करें। कुमारखण्ड :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नक्शा के अभाव में कार्रवाई करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। उदाकिशुनगंज :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाजार से अतिक्रमण हटाया गया है। अन्य जगहों पर दो दिनों में हटा दिया जाएगा। सभी संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जितने भी अतिक्रमण हटा दिया गया है, सभी का संबंधित थाना में सनहा दर्ज करते हुए उसकी प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को दी जाए, ताकि माननीय न्यायालय में सनहा नम्बर के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सके। कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज को निदेश दिया गया कि नोटिस निर्गत करें।
6.	(कृषि) डीजल अनुदान – सभी प्र0वि0पदा0 /जिला	जिलाधिकारी द्वारा डीजल अनुदान वितरण की समीक्षा की गयी। बताया गया कि किसी भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अभी तक डीजल अनुदान वितरण का भुगतान नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि जांच-पड़ताल कर